पत्रांक : वित्त 38/बो०वि०अ०-01/2026...1300.........../वि०

ई०-मेल

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक :08/04/2026

विषय : विपत्रों के निकासी के पूर्व आवश्यक सावधानी सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची से प्राप्त पत्रांक 01 दिनांक 02.04.2026.

महाशया/महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड के कार्यालय, राँची से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक, बोकारो कार्यालय से मई, 2024 से दिसम्बर, 2025 तक की अवधि में कुल 3,15,33,993/- (तीन करोड़ पन्द्रह लाख तैतीस हजार नौ सौ तिरान्वे) रूपये की अवैध निकासी वेतन मद से किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा भी डाटाबेस की समीक्षा के उपरांत पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग कार्यालय से भी विगत् आठ वर्षों के दौरान 15,41,41,485/- रूपये के अवैध निकासी की जानकारी प्राप्त हुई है। वर्णित मामलों में समीक्षा के दौरान कार्यालय स्तर पर निम्नवत् त्रुटियाँ संज्ञान में आयी हैः-

(i) सेवानिवृत्त कर्मी या वैसे कर्मी जो वास्तविक रूप से कार्यालय से संबंधित नहीं थे, उनके वेतन का भुगतान कार्यालय के पंजियों से मिलान किये बिना किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक, बोकारो के मामले में एक सेवानिवृत व्यक्ति के GPF profile में जन्मतिथि बदल कर, उसे कार्यरत कर्मी के रूप में भुगतान किया गया।

(ii) कर्मियों के वेतन भुगतान के पूर्व उनको अनुमान्य वेतन / Pay Scale/ भत्ता आदि की जाँच नहीं की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक, बोकारो तथा हजारीबाग कार्यालय में प्रश्नगत् व्यक्ति को उसके अनुमान्य वेतन से कहीं अधिक प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा था।

(iii) उक्त भुगतान संबंधित कार्यालय के विपत्र लिपिक द्वारा अपनी पत्नी / संबंधी की बैंक विवरणी अंकित किया गया एवं उन बैंक खातों में लगातार राशि हस्तांतरित की जा रही थी।

(iv) माह सितम्बर, 2025 से पूर्व एक ही मोबाईल नम्बर पर विपत्र लिपिक एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोनों का ओ०टी०पी० प्राप्त किया जा रहा था, जो उचित नहीं था।

(v) माह सितम्बर, 2025 के पश्चात् आधार आधारित मोबाईल नम्बर पर ओ०टी०पी० भेजे जाने के पश्चात् भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ओ०टी०पी० विपत्र लिपिक को साझा (Share) किया जा रहा है।

(vi) उक्त मामलों में विपत्र लिपिक पिछले 10—12 वर्षों से एक ही कार्यालय में विपत्र लिपिक / लेखापाल के रूप में कार्यरत थे, जिसके कारण उनके द्वारा किये गये संदिग्ध कार्य को प्रकाश में नहीं लाया जा सका।

उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिपथ में रखते हुए वर्णित समस्या के समाधान एवं भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निम्न सावधानियाँ बरती जाएः—

(i) प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थापना कर्मी का नाम / पदनाम / जन्म तिथि एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं का मिलान सर्विसबुक से करते हुए उनके वेतन भुगतान के पूर्व कार्यालय में उनके वास्वतविक रूप से कार्यरत होने के संबंध में संतुष्ट हो लिया जाए।

(ii) सभी कर्मियों को वेतन भुगतान उनके पक्ष में निर्गत Payslip/ सर्विसबुक में अंकित लेखा सत्यापन के आधार पर ही किया जाए।

(iii) वेतन भुगतान के पूर्व कर्मियों के बैंक खाता संख्या का सत्यापन उनके पासबुक / चेक के आधार पर निश्चित रूप से कर लिया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित तीनों बिन्दुओं से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में सर्टिफिकेट अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त सर्टिफिकेट के बिना कोषागार से किसी प्रकार का वेतन निकासी नहीं की जाएगी।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किसी भी परिस्थिति में अपने ओ०टी०पी० को किसी भी अन्य कर्मी को Share नहीं किया जायेगा।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के साथ सम्बद्ध तीन साल की अवधि से अधिक समय से कार्यरत विपत्र लिपिक के बदले किसी अन्य लिपिक को विपत्र लिपिक का कार्य आवंटित किया जाय। किसी कार्यालय में सिर्फ एक ही लिपिक कार्यरत रहने की स्थिति में उसके कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा संबंधित पोर्टल पर आवश्यक रोक संबंधित कार्रवाई की जा रही है। विशेष परिस्थिति में कोषागार एवं सांख्यिक वित्त निदेशालय से आदेश प्राप्त कर ही इस प्रावधान में छूट दी जा सकेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोक्त।

08/04/26

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : वित्त 38/बो०वि०अ०–01/2026 1300 **/वि० राँची, दिनांक** 08/04/2026

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/04/26

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : वित्त 38/बो०वि०अ०–01/2026 1300 **/वि० राँची, दिनांक** 08/04/2026

प्रतिलिपि : निदेशक, कोषागार एवं सांख्यिक वित्त निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, पेंशन एवं लेखा निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

08/04/26

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।